WitWaves
Journal of Multidisciplinary Research

International Peer-Reviewed E-Journal
E-ISSN: 3107-4235

Vol – 2
Issue – 10
October
2025

डिजिटल मीडिया में गोपनीयता और नैतिक दायित्व

आलोक अग्रवाल[1, *]

[1]संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

https://doi.org/10.64175/wjmr.vol.2.issue10.6

✉ [1]alokagrawal1305@gmail.com

Article Info

Keywords:

- *डिजिटल मीडिया*
- *निजता*
- *डेटा सुरक्षा*
- *साइबर अपराध*
- *मीडिया नैतिकता*
- *कानून*
- *फेक न्यूज़*

Abstract

डिजिटल मीडिया ने सूचना के आदान-प्रदान को तीव्र, सुलभ और वैश्विक बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही निजता का गंभीर संकट भी उत्पन्न हुआ है। सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, ब्लॉग और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने पत्रकारिता को लोकतांत्रिक तो बनाया, परंतु इसके साथ गोपनीयता और नैतिकता से जुड़ी गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। व्यक्तिगत डेटा, तस्वीरें, वीडियो, चैट्स और लोकेशन की अनधिकृत सार्वजनिकता व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा दोनों को प्रभावित करती है। यह शोध-पत्र डिजिटल मीडिया में गोपनीयता के अधिकार, नैतिक जिम्मेदारियों, कानूनी प्रावधानों और इसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है।

प्रस्तावना

आज का युग डिजिटल संचार का युग है। मनुष्य का निजी जीवन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुली किताब बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्टर बन गया है। ऐसे में बिना सत्यापन के निजी जीवन से जुड़ी सूचनाएँ सार्वजनिक करना आम हो गया है, सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, ब्लॉग, यूट्यूब, व्हाट्सएप हर माध्यम पर निजी जानकारी असुरक्षित है। इससे निजता का अधिकार गंभीर खतरे में है।

- गोपनीयता का अर्थ - गोपनीयता का अर्थ है व्यक्ति को अपने निजी जीवन, सूचना और पहचान पर नियंत्रण का अधिकार।
- निजता का अधिकार - भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी केस (2017) में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया।

डिजिटल मीडिया की अवधारणा

डिजिटल मीडिया वह माध्यम है जिसमें इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म शामिल हैं जैसे - न्यूज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, ब्लॉग और पॉडकास्ट आदि।

डिजिटल मीडिया में गोपनीयता के उल्लंघन के रूप

1. निजी तस्वीरों का वायरल होना
2. बिना अनुमति कॉल रिकॉर्डिंग प्रसारित करना
3. लोकेशन ट्रैकिंग
4. डेटा चोरी
5. फर्जी प्रोफाइल
6. डीपफेक वीडियो

डिजिटल मीडिया में नैतिक दायित्व

मीडिया का दायित्व है कि वह पीड़ित की पहचान गोपनीय रखे। बच्चों और महिलाओं की निजता का सम्मान करे। इसके साथ ही निजी जीवन को बिना अनुमति प्रकाशित न करे। सत्यता, निष्पक्षता, गोपनीयता का सम्मान, घृणा नहीं फैलाना, फेक न्यूज़ से बचाव, सनसनी से बचाव आदि पर अडिग रहना चाहिए।

भारत में गोपनीयता से संबंधित कानूनी प्रावधान

भारत में गोपनीयता के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं। कानून की जानकारी निम्नानुसार है -

1. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017) → निजता मौलिक अधिकार
2. IT Act, 2000
3. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023

सोशल मीडिया और गोपनीयता संकट

सोशल मीडिया के द्वारा गोपनीयता पर संकट मंडराता रहता है। जैसे – ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग, मॉर्फिंग, रिवेंज पोर्न आदि। ये सभी निजता के गंभीर उल्लंघन हैं।

डिजिटल पत्रकारिता में नैतिक संकट

1. ब्रेकिंग न्यूज़ की जल्दबाज़ी सभी को रहती है।
2. बिना सत्यापन खबरें प्रसारित कर दी जाती हैं।
3. क्लिकबेट जर्नलिज़्म उपयुक्त होना चाहिए।
4. निजी वीडियो के व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना ठीक नही है।

समाधान एवं सुझाव

1. सख्त डेटा सुरक्षा कानून बनना अनिवार्य है।
2. मीडिया के लिए डिजिटल एथिक्स कोड लागू किया जाना चाहिए।
3. सोशल मीडिया साक्षरता आवश्यक है।
4. फैक्ट-चेकिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए।
5. पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय प्रणाली अतिआवश्यक है।

निष्कर्ष

डिजिटल युग में गोपनीयता और मीडिया नैतिकता परस्पर जुड़े हुए हैं। डिजिटल मीडिया ने अभिव्यक्ति को सशक्त बनाया है, लेकिन नैतिकता और निजता की अनदेखी लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। यदि मीडिया नैतिकता का पालन नहीं करेगा तो तकनीकी प्रगति मानव गरिमा को नष्ट कर देगी। अतः डिजिटल पत्रकारिता को स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

संदर्भ

1. Information Technology Act, 2000.
2. K.S. Puttaswamy vs Union of India, 2017.
3. UNESCO. Digital Media Ethics, 2021.
4. Mehta, D. Cyber Law and Media. Oxford, 2020.
5. Ministry of Electronics & IT, India, Data Protection Act 2023.